न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा जिला रीवा

निगरानी 717-III-15 म0प्र0

रामजी कोल तनय श्री बेलानी कोल ग्राम दुबगौली तह0 हनुमना जिला रीवा म0प्र0

———निगरानीकर्ता

बनाम

भाईलाल शर्मा तनय लक्ष्मण प्रसाद शर्मा सा0 खटखरी तह0 हनुमना जिला रीवा म0प्र0 (मृतक) द्वारा वारिसान

1– मुन्नालाल शर्मा उम्री 38 वर्ष

2– अच्छू शर्मा उम्र 36 वर्ष

3– सन्तू शर्मा उम्र 35वर्ष तीनों के पिता भाईलाल शर्मा

4– वेवा भाइलाल शर्मा

सभी निवासी सा0 खटखरी तह0 हनुमना जिला रीवा म0प्र0

—— गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्व आदेश नायब तहसीलदार तहसील हनुमना वृत्त खटखरी जिला रीवा म0प्र0 प्रकरण कमांक 21/ए6 / 2012–13 पारित आदेश दिनांक 06–07–2013

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :–

1– यह कि भूमि नं0 34,36 जुमना रकवा 7.24 स्थिति ग्राम दुबऔली तह0 हनुमना जिला रीवा म0प्र0 के मूल भूमि स्वामी गया प्रसाद थे जिन्होने दिनांक 22–09–96 को जरिये लिखित दस्तावेज समक्ष गवाहान मुझ निगरानी कर्ता को अपनी उपरोक्त भूमि का जुमला रकवा सदा सर्वदा के लिये अपनी सेवा के बदले दे दिया और स्वत्व एवं कब्जा दखल उक्त लेख के द्वारा मौके से दे दिया तब से आज तक बतौर भूमि स्वामी निगरानी कर्ता उक्त भूमि में रिहायसी मकान बना कर व कास्त करते चला आ रहा है जिसका नामानतरण भी आवेदक के नाम जरिये नामान्तरण पंजी क0 10 दिनांक 13–03–99 को विधिवत ग्राम पंचायत दुबऔली द्वारा किया गया उसकी इत्तलावी भी खसरे आदि में हो गई ।

(154)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक......निग० 717-III/15.......... जिला......रीवा......

......रामजी कोल......विरूद्ध......भाईलाल शर्मा वगैर......

1	2	3
16-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री......शिवराज सिंह......अधिवक्ता द्वारा यह नायब तहसीलदार तहसील......हनुमना, वृत्त खटखरी......के प्रकरण क्रमांक......21 अ-6/2012-13......में पारित आदेश दिनांक......06.07.13......के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर......रीवा......के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक ...30.03.19...... को कलेक्टर......रीवा......के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	